...क निर्देश/अहर्ता-

...ूर्णकालिक शिक्षिका, अंशकालिक शिक्षिका पद पर महिला अभ्यर्थियों का ही चयन किया जायेगा। चयन के उपरान्त पूर्णकालिक शिक्षिका ...ो विद्यालय परिसर में बालिकाओं के साथ निवास करना अनिवार्य होगा।

2- पूर्णकालिक शिक्षिका एवं अंशकालिक शिक्षिका के पद पर चयन सीधे मेरिट के आधार पर किया जायेगा तथा सहायक रसोईयां के पद पर चयन साक्षात्कार के माध्यम से किया जायेगा।

3- प्रशिक्षण उपाधि के अन्तर्गत एन0सी0टी0ई0 से मान्यता प्राप्त बी0एड0 तथा उसके समकक्ष एल0टी0 इत्यादि प्रशिक्षण को सम्मलित किया जायेगा तथा उच्च प्राथमिक स्तर की उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

4- किसी सेवा से बर्खास्त नैतिक अक्षमता के अपराध के लिए दोष सिद्व एवं दिवालिया व्यक्ति चयन के लिए अह/पात्र नहीं होंगे।

5- उपरोक्त समस्त पद 11 माह 29 दिन/ शैक्षिक सत्र के लिए संविदा पर आधारित होंगे तथा कार्य संतोषजनक होने की दशा में जनपद स्तरीय समिति के अनुमोदन के उपरान्त कार्यकाल में वृद्धि की जा सकती है।

6- राज्य सरकार के नवीनतम प्रावधानों के अनुसार आरक्षण देय होगा। उपरोक्तानुसार चयन हेतु अह उम्र का निर्धारण 01 अप्रैल 2021 से माना जायेगा।

7- चयन के सम्बन्ध में जिला स्तरीय चयन समिति का निर्णय अन्तिम रूप से माना जायेगा।

8- अभ्यर्थी के आवेदन पत्र के साथ नवीनतम पासपोर्ट साइज की प्रमाणित दो फोटो ग्राफ्स तथा स्वप्रमाणित किये गये समस्त शैक्षिक अंकपत्र प्रमाण पत्रों एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र अनुभव तथा प्रमाण पत्र की छायाप्रति व 02 अपना पता लिखा हुआ लिफाफा जिसमें एक पर रू0 27/- का डाक टिकट लगा हो।(संलग्न करें)।

9- एक लिफाफे में केवल एक ही आवेदन पत्र की स्वीकार किया जायेगा।एक लिफाफे में एक से अधिक आवेदन पत्र भेजने पर सभी आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जायेंगे। लिफाफा के ऊपर आवेदित पद का नाम विषय एवं आरक्षण कोटि स्पष्ट रूप से अंकित किया जायेगा।

10- केवल पंजीकृत डाक से ही आवेदन पत्र दिनांक 10-07-2021 को साय 05.00 बजे तक स्वीकार किया जायेगा। साधारण डाक से प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। आवेदन भेजने का पता कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोबा।

11- आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में फुलस्केप कागज पर एक ही पृष्ठ पर होना अनिवार्य है। अपूर्ण/हस्ताक्षर रहित/प्रमाणित फोटो रहित/निर्धारित प्रारूप से इतर आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जायेगे।

12- रिक्तियों की संख्या आवश्यकतानुसार घट बढ़ सकती है तथा किसी भी पद के लिए विज्ञापन निरस्त करने का सर्वाधिकार सचिव/अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित होगा।

13- चयनित अभ्यर्थी की समस्त मूल प्रमाण पत्र काउन्सिलिंग के समय जमा किया जाना अनिवार्य हैं। सत्यापनोंपरान्त समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र वापस कर दिये जायेगे। फर्जी पाये जाने की स्थिति में अभ्यर्थन के समस्त मूल प्रमाण पत्र भी जब्त कर लिये जायेगे।

14- माननीय न्यायालय एवं राज्य परियोजना निदेशक लखनऊ के निर्देशानुसार समय-समय पर मानदेय परिवर्तित हो सकता है।

15- कला क्राफ्ट एवं संगीत आदि विषयों के लिए शैक्षिक योग्यता स्नातक उपाधि सहित प्रशिक्षण उपाधि होगी तथा गृह विज्ञान के शिक्षिका का पद कला क्राफ्ट एव संगीत के पद के अन्तर्गत ही माना जायेगा।

16- कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों के ऐसे शिक्षक/शिक्षिका जो शैक्षिक सत्र 2021-22 में नवीन संविदा से वंचित हो रहे है। उन शिक्षिकों के चयन हेतु शैक्षिक अहर्ता में शासनादेश संख्या के0जी0बी0वी0/3-2/1916/2013-14 दिनांक 29-07-2013 के पूर्व कार्यरत शिक्षकों के लिए टी0ई0टी0 की अहर्ता अनिवार्य नहीं होगी। आवेदक को तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

17- कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों के ऐसे शिक्षक/शिक्षिका जो निर्धारित अहर्ता रखते हो किन्तु शैक्षिक सत्र 2020-21 में नवीन संविदा से वंचित हो रहे है। उन शिक्षकों द्वारा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में रिक्तियों के सापेक्ष होने वाले नवीन चयन में आवेदन करने पर चयन हेतु आयु सीमा में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में कार्यरत रहने की अवधि के समतुल्य छूट प्रदान की जायेगी, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि , सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिकाओं की आयु 60 वर्ष से अधिक न हो।

18- कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय के ऐसे शिक्षक/शिक्षिका जो शैक्षिक सत्र 2020-21 में नवीन संविदा से वंचित हो रहे हैं उन्हें कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में की गयी सेवा अवधि के प्रत्येक पूर्ण अध्यापन वर्ष के लिए 02 अंक, अधिकतम 30 अक तक दिया जायेगा। किन्तु अधिकतम भारांक 30 अंक से अधिक नहीं दिया जायेगा।

(दया वर्मा)
जिला समन्वयक(बालिक शिक्षा)
सर्व शिक्षा अभियान, महोबा।

(सूर्यभान)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
महोबा।